रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239339 CG-DL-E-04102022-239339

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] No. 254] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

# इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यूविभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

## विषय: भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना

# सं. डब्ल्यू-38/21/2022-आईपीएचडब्ल्यू.—1. पृष्ठभूमि

- 1.1. इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में लगभग 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर (150 लाख करोड़ रूपए) का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, 5जी, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आदि सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए, उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है।
- 1.2. सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक मूल हिस्सा हैं। सेमीकंडक्टर्स का उपयोग स्मार्टफोन और क्लाउड सर्वर से लेकर आधुनिक कारों, औद्योगिक स्वचालन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा प्रणाली तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विशाल श्रृंखला को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- 1.3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) का विज़न भारत को इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक चिप घटकों के डिजाइन और निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है।

6682 GI/2022 (1)

- 2. उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और एक विश्वसनीय मूल्यश्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना।
- 3. पात्रता और भारत सरकार से पूंजी सहायता

## 3.1 सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स

विवरण	लॉजिक/मेमोरी/डिजिटलआईसी/एनालॉग आईसी/ मिक्स्ड सिग्नल आईसी/एसओसी के विनिर्माण के लिए भारत में सिलिकॉन CMOS आधारित सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनियां/संघ/संयुक्त उद्यम		
प्रौद्योगिकी	वेफर आकार	संस्थापित क्षमता	
	300मिमी	40,000	
		वेफर प्रति माह (डब्ल्यूएसपीएम) या उससे अधिक	
परिचालन अनुभव	आवेदक कंपनियों / संघ / संयुक्त उद्यमों के पास निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए: प्रस्तावित प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के लिए उत्पादन ग्रेड लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकियों के मालिक या अधिकारी हैं और लाइसेंसिंग या विकास के माध्यम से उन्नत नोड्स प्रौद्योगिकियों के रोडमैप का प्रदर्शन करते हैं		
पूंजीनिवेश सीमा	20,000 करोड़रूपए (₹200 बिलियन) का न्यूनतम पूंजी निवेश		
राजस्व सीमा	आवेदन जमा करने के वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी 7,500 करोड़ रूपए (₹75 बिलियन) (समूह कंपनियों सहित ) का न्यूनतम राजस्व		
भारत सरकार से वित्तीय	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता		
सहायता	50%		

## 4. वित्तीय सहायता

- 4.1 वित्तीय सहायता: यह योजना पैरा 3 में उल्लिखित पात्रता मानदंड के अधीन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- 4.2 राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, का भी लाभ उठाया जा सकता है।
- 5. अवसंरचना सहायता
- 5.1 अवसंरचना / सामान्य सुविधा केंद्रों के विकास के लिए सहायता: भारत सरकार बुनियादी ढांचे / सामान्य सुविधा केंद्र के विकास के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लाभों को ईएमसी 2.0 ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रस्ताव के अधीन बढ़ा सकती है।
- 6. **मांग एकत्रीकरण सहायता:** भारत में स्थापित सेमीकंडक्टर फैब्स को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में खरीद वरीयता के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
- 7. अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सहायता: योजना के परिव्यय का 2.5% तक भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- 8. योजना का कार्यकाल: योजना केतहत सहायता छह वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर वास्तविक पूंजी समर्थन बहिर्वाह की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

- 9. योजना का वित्तीय मूल्यांकन: योजना का मूल्यांकन व्यय विभाग के सचिव के नेतृत्व वाली व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा किया जाएगा।
- 9.1 व्यय वित्त सिमिति इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नोडल एजेंसी के परामर्श से योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा का निर्धारण करेगी।
- 9.2 यदि वित्तीय सहायता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इक्विटी के रूप में प्रदान की जाती है, तो भारत सरकार की हिस्सेदारी कुल परियोजना इक्विटी के 49% से अधिक नहीं होगी।
- 10. आवेदन प्रक्रिया: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से आवेदन प्राप्त करने के लिए नई विंडो खोलने की तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। इस अधिसूचना में निहित नई योजना के अनुसार, सभी आवेदक जिन्होंने 21 दिसंबर, 2021 (पहले की योजना) की राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में आवेदन किया था, उन्हें नई आवेदन विंडो खुलने पर आवेदन जमा करने की अनुमित दी जाएगी।
- 11. लाभार्थियों की संख्या: योजना के तहत कम से कम दो (2)आवेदकों को स्वीकृति दी जाएगी। हालांकि, इस योजना के तहत एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में भी गतिविधि की प्रकृति और दुनिया भर में सीमित कंपनियों की उपलब्धता के कारण, जो सेमीकंडक्टर फैब में हैं, आवेदक कंपनी / संघ के चयन और अनुमोदन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। देश में सेमीकंडक्टर फैब होने की आर्थिक वास्तविकताओं और रणनीतिक आवश्यकता को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर निर्माण में घरेलू क्षमता का होना औद्योगिक विकास, डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। यह एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की नींव है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है।

## 12. शासन तंत्र

- 12.1 नोडल एजेंसी: इस योजना को एक नोडल एजेंसी (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस तरह की नोडल एजेंसी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय मूल्यांकन; योजना और उसके दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार आवेदकों के चयन की सिफारिश करना; और समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। नोडल एजेंसी के कार्यों और जिम्मेदारियों को एमईआईटीवाई द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।
- 12.2 योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, नोडल एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ निम्न के लिए उत्तरदायी है:
- 12.2.1 आवेदन प्राप्त करना, पावती जारी करना, और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करना। जब तक नोडल एजेंसी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा।
- 12.2.2 परियोजनाओं के तकनीकी और प्रारंभिक वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ आवेदकों की विशेषज्ञता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले एजेंसीयों या सलाहकारों को सूचीबद्ध करना।
- 12.2.3 योजना के तहत उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, नोड आकार (ओं), क्षमता, आदि, और संरचना और वित्तीय सहायता की मात्रा का प्रस्ताव करने के लिए आवेदक (ओं) के साथ बातचीत करना।
- 12.2.4 योजना के तहत वित्तीय सहायता के वितरण के लिए पात्र दावों की जांच करना और पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता का वितरण करना।
- 12.2.5 योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

## 13. अनुमोदन प्रक्रिया

13.1 नोडल एजेंसी द्वारा क्यूसीबीएस मूल्यांकन: आवेदक का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) मानदंड के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसमें तकनीकी पैरामीटर जैसे प्रक्रिया

प्रौद्योगिकी, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, संचालन क्षमता आदि शामिल होंगे। इसमें सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता की संरचना जैसे वित्तीय पैरामीटर भी शामिल होंगे। क्यूसीबीएस मूल्यांकन मानदंड का निर्णय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के परामर्श से और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदन से किया जाएगा।

- 13.2 नोडल एजेंसी द्वारा बातचीत: क्यूसीबीएस मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद, नोडल एजेंसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी मिश्रण, अनुप्रयोगों, नोड आकार (ओं), क्षमता, आदि का प्रस्ताव करने के लिए योजना के तहत चयनित आवेदकों के साथ बातचीत करेगी, और योजना के तहत वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा को प्रस्तावित करेगी।
- 13.3 बातचीत के बाद चुने गए आवेदक(ओं) को नोडल एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- 13.4 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदक (आवेदकों) की स्वीकृति: नोडल एजेंसी द्वारा अनुशंसित आवेदक (आवेदकों) को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आवेदक को संचार के लिए नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।

#### 14. संवितरण प्रक्रिया

- 14.1 योजना के तहत स्वीकृत आवेदकों को पूंजीगत सहायता के वितरण के लिए एमईआईटीवाई बजटीय प्रावधान करेगा। नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन शर्तों के आधार पर पूंजी सहायता का संवितरण किया जाएगा। नोडल एजेंसी नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगी।
- 14.2 नोडल एजेंसी द्वारा आवेदकों को परी-पासु आधार पर पूंजी सहायता जारी की जाएगी।
- 14.3 अनुमोदित आवेदकों को पूंजी सहायता के वितरण की विस्तृत प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित की जाएगी।
- 15. प्रभाव आकलन: योजना का मध्याविध मूल्यांकन इसके कार्यान्वयन के तीन साल बाद या योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यकता के अनुसार, स्वीकृत आवेदकों द्वारा योजना तथा अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुसार किया जाएगा। इस तरह के प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर, योजना के कार्यकाल को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इसके वित्तीय परिव्यय को बदलने का निर्णय लिया जाएगा।
- **16. योजना के दिशा-निर्देश:** योजना के दिशा-निर्देश इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अलग से जारी किए जाएंगे।
- 17. योजना और दिशा निर्देशों में संशोधन: योजना और उसके दिशा निर्देशों की समीक्षा और संशोधन समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (IPHW Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

Subject: Modified Scheme for setting up of Semiconductor Fabs in India W-38/21/2022-IPHW.—1. Background

1.1 Electronics permeates all sectors of the economy and the electronics industry has cross-cutting economic and strategic importance. Currently valued at around USD 2 Trillion (₹150 lakh crore), the global electronics market is expected to grow significantly given the increasing penetration of emerging technologies including 5G, IoT, Artificial Intelligence, Robotics, Smart Mobility, Smart Manufacturing, etc.

- 1.2 Semiconductors are building blocks of electronic devices. Semiconductors are used to power a vast array of electronic devices ranging from smartphones and cloud servers to modern cars, industrial automation, critical infrastructure and defence system.
- 1.3 The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) and create an enabling environment for the industry to compete globally. One of the main strategies of NPE 2019 is to facilitate setting up of semiconductor wafer fabrication facilities and its eco-system for design and fabrication of chip components.
- 2. **Objective:** To attract large investments for setting up semiconductor wafer fabrication facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem and help establish a trusted value chain.
- 3. Eligibility and Fiscal support from Government of India

#### 3.1 Silicon Semiconductor Fab

Description	Companies / Consortia / Joint Ventures proposing to set up a Silicon CMOS based Semiconductor Fab in India for manufacturing Logic / Memory / Digital ICs / Analog ICs / Mixed Signal ICs / SoCs		
Technology	Wafer Size	Installed Capacity	
	300 mm	40,000 Wafer Starts per Month (WSPM) or above	
Operational Experience	The applicant Companies / Consortia / Joint Ventures should have the following experience:		
	Own or possess production grade licensed technologies for proposed technology process and demonstrate the roadmap to advanced nodes technologies through licensing or development		
Capital Investment Threshold	Minimum Capital Investment of ₹20,000 crore (₹200 billion)		
Revenue Threshold	Minimum Revenue of ₹7,500 crore (₹75 billion) ( <i>including Group Companies</i> ) in any of the three financial years preceding the year of submission		
Fiscal support from Government of India	Fiscal support as percentage of Project Cost		
	50 %		

#### 4. Financial Support

- 4.1 **Fiscal support**: The scheme will extend fiscal support for Silicon Semiconductor Fab subject to the eligibility criteria mentioned in Para 3.
- 4.2 **Additional financial support**, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies may also be availed.
- 5. **Infrastructure Support**
- 5.1 **Support for development of Infrastructure / Common Facility Centres**: Government of India may extend the benefits of Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme for development of infrastructure / Common Facility Centre subject to the proposal satisfying the EMC 2.0 framework requirements.
- 6. **Demand Aggregation Support**: Semiconductor Fab(s) set up in India will be supported through purchase preference in procurement of electronic products by the Government under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017.

- 7. **Support for R&D, Skill Development and Training**: Up to 2.5% of the outlay of the scheme shall be earmarked for meeting the R&D, skill development and training requirements for the development of semiconductor ecosystem in India.
- 8. **Tenure of the Scheme**:Support under the scheme shall be provided for a period of six years. The tenure of the actual fiscal support outflow may be extended based on the approval of the Minister of Electronics and Information Technology.
- 9. **Financial Appraisal of the Scheme:** The scheme shall be appraised by the Expenditure Finance Committee (EFC) led by Secretary, Department of Expenditure.
- 9.1 Expenditure Finance Committee shall determine the structure and quantum of fiscal support to be provided under the scheme in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology and the Nodal Agency.
- 9.2 In case of fiscal support being provided as equity either in part or in full, Government of India's share will not exceed 49% of total project equity.
- 10. **Application Procedure**:The date of opening of new window for receiving applications will be notified separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology. All applicants who had applied in pursuance of the Gazette Notification dated 21st December, 2021 (earlier scheme) shall be allowed to submit applications as per the new scheme contained in this Notification when the new application window is opened.
- 11. **Number of beneficiaries**: Approval shall be granted toatleast two (2) applicants under the scheme. However, in case of receipt of a single application also under the scheme owing to the nature of the activity and availability of limited companies worldwide which are into semiconductor fab, the process of selection and approval of the applicant company / consortia will be followed. This is especially important in view of the economic realities and strategic requirement of having a semiconductor fab in the country. Having domestic capabilities in semiconductor manufacturing is an imperative for industrial growth, digital sovereignty, and technological leadership. It is the foundation for establishing a trusted electronics supply chain which is critical for national security and self-reliance in strategic sectors.

#### 12. **Governance Mechanism**

- Nodal Agency: The scheme will be implemented through a nodal agency (India Semiconductor Mission). Such nodal agency will be responsible for carrying out technical appraisal and financial appraisal of the applications received under the scheme; recommending selection of applicants; and carrying out other responsibilities as assigned by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) from time to time. The functions and responsibilities of nodal agency shall be elaborated in the scheme guidelines to be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.
- 12.2 For carrying out activities related to the implementation of the scheme, nodal agency would *interalia*:
  - 12.2.1 Receive the applications, issue acknowledgements, and verify eligibility of the applicants for support under the scheme. Till such time that the Nodal Agency is fully established, Ministry of Electronics and Information Technology will carry out the further process.
  - 12.2.2 Empanel agency(ies) or consultants as deemed necessary to carry out technical and financial appraisal of the projects as well as evaluate expertise of the applicants.
  - 12.2.3 Negotiate with the applicant(s) to propose the appropriate technology mix, applications, node size(s), capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme.
  - 12.2.4 Examine claims eligible for disbursement of fiscal support under the scheme and disburse the fiscal support as per eligibility.
  - 12.2.5 Submit periodic reports to Ministry of Electronics and Information Technology regarding the progress and performance of the scheme.

### 13. **Approval Process**

- 13.1 **QCBS Evaluation by Nodal Agency**: The applicant(s) will be evaluated by the Nodal Agency based on Quality and Cost Based Selection (QCBS) criteria. This will include technical parameters such as process technologies, project implementation capacity, operation capability, etc. This will also include financial parameters such as structure of fiscal support sought from the government. The QCBS evaluation criteria shall be decided by Ministry of Electronics and Information Technology in consultation with Nodal Agency and approved by the Minister of Electronics and Information Technology.
- Negotiations by Nodal Agency: After the process of QCBS evaluation, the Nodal Agency will hold negotiations with the selected applicant(s) under the scheme to propose the appropriate technology mix, applications, node size(s), capacity, etc., and structure and quantum of fiscal support under the scheme.
- The applicant(s) selected after negotiations shall be forwarded by the Nodal Agency to Ministry of Electronics and Information Technology.
- Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: The applicant(s) as recommended by the Nodal Agency will be placed by the Ministry of Electronics and Information Technology for approval by the Union Cabinet. After the approval is accorded by the Union Cabinet, these will be forwarded by the Ministry of Electronics and Information Technology to the Nodal Agency for communication to the applicant(s).

## 14. **Disbursement Process**

- 14.1 Ministry of Electronics and Information Technology will make budgetary provisions for disbursal of fiscal support to approved applicant(s) under the scheme. The disbursement of the fiscal support will be done by the Nodal Agency based on approval conditions. Nodal Agency will submit budgetary requirement to Ministry of Electronics and Information Technology as consolidated amount on regular basis.
- 14.2 The fiscal support will be released to the applicant(s) by the Nodal Agency on *pari-passu* basis.
- 14.3 The detailed procedure for disbursal of fiscal support to the approved applicant(s) will be laid down in the Scheme Guidelines.
- 15. **Impact Assessment**: Mid-term appraisal of the scheme will be done after three years of its implementation or as per requirement to assess the impact of the scheme, off take by the approved applicants and economy in terms of the stated objectives. Based on such impact assessment, decision will be taken to increase the tenure of the scheme and change its financial outlay with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.
- 16. **Scheme Guidelines**: The scheme guidelines shall be issued by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) separately with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.
- 17. **Amendment of Scheme and Guidelines:** The scheme and its guidelines shall be reviewed and amended periodically or as per requirement with the approval of Minister of Electronics and Information Technology.

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.